यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला** के माह 03/2013 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर **आधारित** निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री शरत श्रीवास्तव, श्री संतोष कुमार गुप्ता सहायक लेखा परीक्षा अधिकारीयों एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखा परीक्षक** द्वारा दिनॉक 29.06.2018 से 06.07.2018 तक श्री **सुनील कल्ला**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

परिचयात्मकः– इस इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2013 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं अधिक के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित करना है। इसके अतिरिक्त स्टील एवं आरसीसी सेतु का भी निर्माण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत **तीन** वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैरस्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	--	90.83	144.26	141.64	633.48	598.65	–	0	–	128.28
2016–17	--	69.15	16.40	15.97	1370.91	1299.88	–	0	–	140.61
2017–18	--	31.25	178.31	172.68	2070.65	1504.24	–	0	–	603.29

नोटः 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को **स्थापना मद एवं गैर-स्थापना मद के अवशेष** बजट का सर्मपण URRDA को किया गया **जिसका विवरण निम्नवत है-**

(रु. लाख)

वर्ष	स्थापना	गैर-स्थापना
2015-16	2.62	56.51
2016-17	0.43	108.93
2017-18	5.63	477.47

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड एवं एडमिनिस्ट्रेटिव फंड		531.99	484.51	-	47.48
2016–17			1257.02	1148.22	-	108.80
2017–18			1866.46	1389.72	-	476.74

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रोग्राम फंड (पीएमजीएसवाई) एवं प्रशासन मद में केंद्र से प्राप्त होता है एवं अनुरक्षण, आपदा, स्थापना एवं क्षतिपूर्ति मद मे राज्य सरकार से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना एवं स्थापना ब्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन

⇓

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआरआरडीए

⇓

मुख्य अभियंता यूआरआरडीए

⇓

मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र

⇓

मुख्य अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, देहरादून

⇓

अधीक्षण अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, मसूरी

⇓

अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई,
सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)

⇓

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई,
सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)

⇓

कार्यालयी विभागीय अधिकारी,
कनिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारी
पीएमजीएसवाई, सिंचाई प्रखण्ड,
पुरोला (उत्तरकाशी)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह 03/2018, 03/2017, 02/2018** को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- पौंटी मोल्डा से खांसी मोटर मार्ग एवं मेन्द्रथ से भक्वाड गांव मोटर मार्ग स्टेज-1 के अवरुद्ध कार्य एवं रु. 289.77 लाख[1] की लंबित वसूली।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-VII के अंतर्गत पौंटी मोल्डा से खांसी मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन देहारादून के पत्रांक 851/पी.एम.जी.एस.वाई/सि.ख./दिनांक 16/10/2015 द्वारा रु 351.34+26.84 लाख = 378.18 लाख की 11.70 किमी लम्बाई हेतु प्राप्त थी। मुख्य अभियंता (स्तर-2) पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तराखण्ड कांवली रोड़ देहरादून के पत्रांक 293/13(3) यात्रा/2013 दिनांक 28/03/2013 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर 11.70 किमी लंबाई के स्थान पर 7.60 किमी0 लम्बाई मोटर मार्ग (स्टेज-I) का पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य रखरखाव हेतु गठित विस्तृत आगणन पर स्वीकृति के सापेक्ष आनुपातिक रूप से रु 228.22+17.43= रु 245.65 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मोटर निर्माण के कार्य को करने हेतु माह 10/2011 को प्रकाशित निविदा मूल्य के 47 प्रतिशत कम मूल्य पर अनुबंध सं0 09/एस0ई0/पीएमजीएसवाई/2012-13 दिनांक 26.12.2012 द्वारा रु 143.01 लाख का अनुबंध किया गया।अनुबंध के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 26.12.2012 एवं समाप्ति की तिथि 25.03.2014 थी।

प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित कार्य किये जाने थे:-

हिल साइड कटिंग का कार्य,रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल, आर॰ आर 1:5, सीमेंट, सैंड मोर्टार या ड्राइ के उपयोग से क्रॉस ड्रैनेज का निर्माण,क्रॉस ड्रेनेज कार्य के लिये आरसीसी स्कपर का निर्माण,हिल साइड कटिंग के बाद वर्षा के दौरान स्लिप क्लेयरेंस,किमी/0हेक्टोमी/0एज स्टोन पैरापेट का निर्माण/

अभिलेखो के अनुसार माह 04/2014 से कार्य पूर्णतया बंद था । माप पुस्तिका के अनुसार ठेकेदार द्वारा अनुबंधित कार्यो मे हिल कटिंग का 61 प्रतिशत का कार्य किया गया। मई 2014 के अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो कार्य किया गया उसमे भी कई गंभीर अनियमितताये पायी गयी थी जैसे कुछ दीवारों को विशिष्टियों के अनुरूप न होना, पहाड़ कटान का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप न करने, स्कपरो को विशिष्टियों के अनुरूप न बनाये जाने, सड़क की अधिकांश लंबाई मे ढाल एवं चौड़ाई विशिष्टियों के अनुरूप न होने के बावजूद दीवारों एवं स्कपरो का निर्माण किया जाना तथा पक्के स्कपरो की जगह कच्चे स्कपरो का निर्माण किया जाना । इस प्रकार जो कार्य करवाये गये वो भी अधोमानक थे। ठेकेदार द्वारा न तो समय वृद्धि के लिये आवेदन किया गया और न ही कार्य मे रुचि ली गयी। इकाई द्वारा अंतिमिकरण के लिये अनुरोध पर मुख्य अभियंता के अप्रैल 2017 के आदेशानुसार निर्माण कार्य का यथास्थिति मे अंतिमिकरण की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की गयी थी कि रु 154.54 लाख की वसूली की कार्यवाही पूर्ण करते हुए नियमानुसार निविदा आमंत्रित करना सुनिश्चित करे। किन्तु वर्तमान तक अवशेष कार्य हेतु ई-निविदा प्रकाशित नहीं हुई। अंतिमिकरण मे रु 154.54 लाख की जो वसूली ठेकेदार के विरुद्ध निर्धारित की गयी है उसमे रु 10.98 लाख को ठेकेदार के द्वारा किया गया कार्य दर्शाया गया था । जिसको वसूली की राशि से कम किया गया था । जबकि उक्त किये गये कार्य की माप

[1] पौंटी मोल्डा से खांसी मोटर मार्ग रु. 165.52 लाख + मेन्द्रथ से भक्वाड गाब मोटर मार्ग रु. 124.25 लाख

न तो माप पुस्तिका मे दर्ज थी और न ही भुगतान बिल ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2015 मे एसक्यूएम द्वारा किये गये निरीक्षण आख्या मे भी निर्माण कार्यो मे कई कमियाँ पायी गयी जिसको वर्तमान तक दूर नहीं किया गया। न ही ठेकेदार को कार्य के अंतिमिकरण का प्रमाणपत्र निर्गत किया गया और न ही रु 154.54 लाख की वसूली हेतु कोई सार्थक कार्यवाही की गयी। साथ ही अवशेष कार्यो तथा अधोमानक मानक कार्यो को पूर्ण करने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसका परिणाम यह रहा कि आज पाँच वर्ष व्यतीत होने के बावजूद हिल कटिंग का कार्य भी पूर्ण नहीं हो सका और सड़क के स्टेज-1 का कार्य अधूरा पड़ा हुआ था । अवशेष कार्य हेतु नयी निविदा भी प्रकाशित नहीं की गयी तथा रु 154.54 लाख की वसूली भी लंबित पड़ी हुई थी।

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि सीईओ द्वारा ठेकेदार को मौखिक रूप से मई 2018 तक कार्य सम्पन्न करने हेतु समय दिया गया है। ठेकेदार के विरुद्ध कुल रु 154.54 लाख की वसूली की कार्यवाही निर्धारित की गयी है, जिसकी वसूली की जानी है, तथा यह भी बताया गया कि त्रुटिवश रु 10.98 लाख का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया दर्शाया गया । जिसको शीघ्र ही संशोधित कर सक्षम प्राधिकारी से संशोधित वसूली की राशि निर्धारित कर स्वीकृत करा लिया जायेगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि ठेकेदार द्वारा वर्ष 2014 से कार्य बंद किया गया है। और इकाई द्वारा कार्य को पुनः आरंभ कराये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। अप्रैल 2017 मे कार्य के अंतिमिकरण के पश्चात कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु प्रयास किये जाने थे जो नहीं किये गये, तथा रु 154.54 लाख की वसूली का निर्धारण भी रु 10.98 लाख से कम किया गया और वसूली की कार्यवाही भी लंबित पड़ी हुई थी।

(ब) इसी प्रकार फेज 7 मे मेन्द्रथ से भक्वाड गाव मोटर मार्ग जिसकी लंबाई 11.79 कि0 मी0 है, के स्टेज-1 के निर्माण कार्ये हेतु रु 316.15 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 26.96 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रधान की गयी थी। कोर नेटवर्क के अंतर्गत इस मोटर मार्ग द्वारा मेन्द्र्थ गाव, वेगल तथा भक्वाड गाव जुड़ने थे जिनकी जनसंख्या 413, 428 एवं 605 थी । इस कार्य के लिए अनुबन्ध सं 9 /SE-06/ 2009-10 दिनाक 03.10.2009 को गठित किया गया जिसकी अनुबन्ध राशि रु 327.43 लाख (निर्माण रु 300.86 लाख + अनुरक्षण 26.57 लाख) थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 03/10/2009 तथा कार्य पूर्ण की तिथि 02.04.2011 थी।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार को रु 15.00 लाख की धनराशि Moblisationadvance तथा रु 30.00 लाख की धनराशि Machinaryadvance के रूप मे अर्थात कुल 45,00 लाख की धनराशि अग्रिम के रूप मेमाह 10/2009 एवं 11/2009 मे दी गयी थी जिसके सापेक्ष भुगतानित बिलो से कुल रु 36.01 लाख की धनराशि की कटोती की गयी थी। अतः रू. 8.99 लाख की धनराशि की वसूली शेष थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ठेकेदार को 11 व 12 चलित देयक जिसमे रु 23.50 लाख एवं 2.10 लाख अर्थात कुल 25.60 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया था। का न तो Bill Measurement Book में और न ही Measurement Book में विवरण इंद्राज किया गया था।

आरम्भ में मोटर मार्ग का कार्य पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था तथा माह 01/2015 मे इकाई को स्थानांतरण किया गया। स्टेज-1 के कार्यो मे मुख्यतः Hillcutting,slipclearance,disposalofdebris,ProtectionWork,RetainingWall,BrestWall आदि किए जाने थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा 9 कि० मी० तक HillCutting का कार्य (पूर्ण कार्य का 72 प्रतिशत) तथा बाकी कार्य भी आधे अधूरे करके वर्ष 2012 से निर्माण कार्य बन्द किया था। अतः मार्ग के शेष 2.79 कि० मी० पर कोई भी कार्य नहीं हुआ था। इकाई द्वारा ठेकेदार को बार बार सूचित करने पर भी ठेकेदार अनुपस्थित रहा तथा माह 04/2017 मे मुख्य अभियन्ता स्तर-I द्वारा अनुबन्ध की रु 124.25 लाख की वसूली के आधार पर यथास्थिति मे नियमानुसार अंतिमिकरण करने की अनुमति प्रदान की गयी। अतः ठेकेदार से कुल रु 124.25 लाख वसूली के सापेक्ष कुल रु 25.61 लाख[2] ही जमा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु 184.65 लाख की धनराशि का व्यय करने तथा कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथि के 07 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी मोटर मार्ग का स्टेज 1 का कार्य अपूर्ण था। साथ ही यह भी पाया गया कि रु 124.25 लाख कि वसूली लंबित थी।

इकाई द्वारा आपत्ति को स्वीकारते हुए बताया गया कि अंतिमीकरण के दौरान लगाई गई पेनाल्टी रु 124.25 लाख मे से 25.61 लाख की वसूली कर ली जाएगी। तथा शेष वसूली के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित कर ठेकेदार द्वारा संपादित दूसरे कार्यों से किया जाएगा।

अतः पौंटी मोल्डा से खांसी मोटर मार्ग एवं मेन्द्रथ से भक्वाड गाव मोटर मार्ग स्टेज- के कार्य के अवरूद्ध रहने एवं रु. 289.77 लाख[3] की लंबित वसूली का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] जमानत राशि रु. 9.23 लाख तथा एफडीआर राशि रु. 16.38 लाख

[3] पौंटी मोल्डा से खांसी मार्गरुलाख 165.52 + मेन्द्रथ से भक्वाड गांव मोटर मार्ग रु. 124.25 लाख।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- दणमाण गांव पासा -पोखरी से नानई भद्रासू मोटर मार्ग मे पुराने अनुबंध के आधार पर अवशेष कार्यो को न कराकर उसी ठेकेदार से नया अनुबंध करके रु 56.37 लाख के अतिरिक्त लागत पर कार्य कराया जाना तथा अनाधिकृत रूप से रु 30.00 लाख अवमुक्त किया जाना।

दणमाण गांव पासा -पोखरी से नानई भद्रासू मोटर मार्ग (कुल लं**0-6.02** किमी लागत रु **149.05** लाख + रु **18.45** लाख) कुल रु **167.50** लाख की स्वीकृति फेस-**7** के अंतर्गत प्राप्त हुई थी । इस कार्य के निर्माण हेतु अनुबंध सं**0 13**/एसई-**06/2009-10** दिनांक **21.10.2009** निष्पादित किया गया। ठेकेदार द्वारा इस कार्य को निष्पादित करने हेतु विभागीय दरो से **18.23** प्रतिशत कम दरो पर निविदा दी गयी। अनुबंध की लागत रु **135.82** लाख थी। निष्पादित अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि **21.10.2009** तथा कार्य की समाप्ति की तिथि **20.10.2010** थी।

यह मार्ग निर्माण खंड लोनिवि**0** पुरोला द्वारा निर्मित देवरा हल्टाडी मोटर मार्ग के किमी **3.00** से प्रारम्भ होता था । माह **03/2011** तक पीडबल्यूडी पुरोला द्वारा किमी **3.00** तक निर्माण कार्य किया जाता रहा जिस कारण इकाई द्वारा माह **03/2011** के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सका। पत्रावली के अनुसार, प्रारम्भ मे यह कार्य पीएमजीएसवाई उत्तरकाशी के पास था । वर्ष **2012-13** तक **3.00** किमी की लंबाई मे पहाड़ कटान का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया। किन्तु वर्ष **2012-13** मे दैवीय आपदा के कारण आये भूस्खलन के कारण वर्ष **2012** के पश्चात ठेकेदार द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। तब तक ठेकेदार को उसके किये गये कार्य का माप पुस्तिका के अनुसार रु **37.25** लाख का भुगतान किया जा चुका था। वर्ष **2012** के तीन वर्ष के पश्चात अर्थात वर्ष **2015** तक इकाई द्वारा इस संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जबकि जन प्रतिनिधियों द्वारा बार बार सड़क निर्माण की मांग की गयी। वर्ष **2015** के मार्च माह मे भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट मे जगह जगह सुरक्षात्मक कार्यो के सुझाव दिये गये। जिसके उपरांत भू-वैज्ञानिक द्वारा सुझाये गये निर्देशानुसार भूस्खलित भागो का कार्य रेस्टोरेशन मद के अंतर्गत प्रांकलन रु **56.83** लाख गठित कर स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया था । परंतु रेस्टोरेशन कार्य को वर्तमान तक स्वीकृत नहीं किया गया।

पत्रांक सं**0 672** दिनांक **04/09/2015** के अनुसार अवशेष कार्य को यदि वर्ष **2015** के वर्तमान दरो के आधार पर (**18.23** प्रतिशत कम करके) पूर्व अनुबंध के आधार पर ठेकेदार के साथ पुनः अनुबंध किया जाता तो इकाई द्वारा रु **205.42** लाख का अनुबंध होता। अर्थात रु **205.42** लाख - रु **149.05** लाख) = रु **56.37** लाख की अतिरिक्त धन की ही आवश्यकता होती । परंतु पत्रांक सं**0 3643** दिनांक **30/09/2015** को कार्य बंद होने के तीन वर्ष पश्चात अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा ठेकेदार के अनुबंध का अंतिमिकरण बिना अर्थदण्ड के करने का निर्देश दिया गया। जिसके आधार पर पत्रांक **2277** दिनांक **26.10.2015** को मुख्य अभियंता द्वारा अनुबंध का इसी स्तर पर अंतिमिकरण हेतु अनुमति दी गयी। अवशेष कार्य हेतु माह **02/2016** को निविदा आमंत्रित की गयी । नयी निविदा पर पुराने अवशेष राशि **135.82** लाख - रु **37.25** लाख = रु **98.97** लाख से **165** प्रतिशत अधिक रु **262.75** लाख की लागत पर अनुबंध उसी ठेकेदार से किया गया जिसको पूर्व मे **18.23** प्रतिशत कम पर कार्य दिया गया था ।

अर्थात पुनः नया अनुबंध करने पर रु **262.75** लाख **-** रु **205.42** लाख = रु **57.33** लाख का अधिक लागत आयी।

पत्रालेख के निरीक्षण मे यह भी प्रकाश मे आया कि पीएमजीएसवाई उत्तरकाशी द्वारा दिनांक **30.08.2011** को रु **30.00** लाख का भुगतान ठेकेदार को बिना देयक और माप के किया गया। जिसको (**OMMAS)** पर दर्शाया गया था। इकाई द्वारा कार्य के अंतिमिकरण के समय (वर्ष 2016) यह तथ्य प्रकाश मे लाया गया। जिसके आधार पर फरवरी **2017** को छः वर्ष पश्चात बिना किसी कारण बताये ठेकेदार द्वारा रु **30.00** लाख की राशि यूआरआरडीए के खाते मे जमा की गयी। इकाई द्वारा अनाधिकृत रूप से छः वर्ष तक रखी गयी राशि का कोई ब्याज भी ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया और न ही बिना कारण अवमुक्त राशि के संबंध मे कोई कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त बिन्दुओ के संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि नहीं ली गयी थी, लेकिन दैवीय आपदा के कारण कार्य बंद था। जिस कारण ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तथा उच्चाधिकारिओ द्वारा निर्णय लिये जाने के कारण कार्य का अंतिमिकरण कर निविदा की कार्यवाही की गयी। रु **30.00** के अनाधिकृत भुगतान के संबंध मे इकाई द्वारा बताया गया कि ब्याज के संबंध मे प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान मे लाया जायेगा ।

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं था क्योकि पत्रांक **672 /**पीएमजीएसवाई /सि**0**ख**0/** दिनांक **04/09/2015** जो अधीक्षण अभियंता को प्रेषित था कि यदि अवशेष कार्य इस अनुबंध के अंतर्गत (**18.23** प्रतिशत कम) कराया जाता तो कुल धनराशि रु **205.42** लाख ही देय होती। किन्तु सक्षम प्राधिकारियो द्वारा इस विकल्प के आधार पर ठेकेदार से कार्य न करवाके कार्य का अंतिमिकरण कर अवशेष कार्यो कि राशि से **165** प्रतिशत अधिक मूल्य रु **262.75** लाख पर कार्य उसी ठेकेदार से नये अनुबंध करके कराया जा रहा है। जिस कारण रु **57.33** लाख की अतिरिक्त लागत आयी**,**जो वित्तीय नियमो के सर्वथा विपरीत था। रु **30.00** लाख के अनाधृकित भुगतान कि जांच कर आवशयक कार्यवाही की जानी चाहिये तथा रु **30.00** लाख की **6** वर्ष तक अवरूद्ध राशि पर ब्याज प्राप्त किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया। अतः पुराने अनुबंध के आधार पर अवशेष कार्यो को न कराकर उसी ठेकेदार से नया अनुबंध करके रु **56.33** लाख के अतिरिक्त लागत का प्रकरण तथा अनाधिकृत रूप से अवमुक्त रु **30.00** लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-2- 19 प्रतिशत कार्य किये जाने के बावजूद ठेकेदार को रु 143.21 लाख की निर्धारित पेनाल्टी से अवमुक्त कर कार्य का अंतिमिकरण किया जाना तथा अवशेष कार्य हेतु रु 104.17 लाख (रु 526.27 लाख - रु 422.10 लाख) की अधिक लागत की बीओक्यू प्रेषित किया जाना।

पैकेज सं0 यू0टी0-13-02/पीएमजीएसवाई के फेस-II एमई स्टेज II शासनादेश सं0 1692/पी0-1-25/यूआरआरडीए /13 दिनांक 09.09.2013 द्वारा लंबाई 15.48 किमी एवं रु 518.23 लाख (निर्माण)+रु 66.55 लाख (अनुरक्षण)= रु 584.78 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त थी । मुख्य अभियंता स्तर-2, पीएमजीएसवाई उत्तराखंड के पत्राक 1735/13(57) याता0/2014, दिनांक 29.03.2015 द्वारा मोटर मार्ग पर पाँच वर्षीय अनुरक्षण सहित कुल रु 584.78 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी । प्राविधिक स्वीकृति के उपरांत रु 542.48 लाख का अनुबंध गठित किया गया था। जिसकी कार्य आरंभ की तिथि 15.02.2014 तथा प्रथम समय वृद्धि के पश्चात कार्य समाप्ति की तिथि 30.09.2016 थी। सड़क निर्माण से दो गांवो चपटाडी एवं सरनौल के 1221 लोगो को लाभान्वित होना था।

पत्रालेख के अनुसार माह 10/2016 तक मार्ग निर्माण कार्य का मात्र लगभग 19 प्रतिशत ही किया गया तथा ठेकेदार द्वारा कार्य करने मे रुचि नहीं ली जा रही थी। माह 12/2016 की अंतिम माप के अनुसार रु 120.38 लाख का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका था । ठेकेदार द्वारा नवंबर 2016 को जून माह मे आयी आपदा के कारण आगे कार्य करने मे असमर्थता व्यक्त की गयी तथा बिना किसी पेनाल्टी के कार्य जैसा है जहां है वैसी स्थिति मे अनुबंध को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। ठेकेदार द्वारा अनुमानित रु 1.50 करोड़ का नुकसान वर्ष 2016 मे आयी आपदा मे होना बताया गया। जिसके आधार पर इकाई द्वारा आर्थिक नुकसान का बिना आगणन किये ठेकेदार के अनुमान को सत्य मानकर पत्रांक सं0 862 दिनांक 03/12/2016 द्वारा बिना आर्थिक दंड के अनुबंध का अंतिमिकरण किया जाना उचित बताया गया। जिसके आधार पर मुख्य अभियंता के पत्रांक 2764/13(57)/याता0/2015-16 दिनांक 28/12/2016 द्वारा बिना किसी क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड के अंतिमिकरण की अनुमति प्रदान की गयी थी। जबकि इकाई द्वारा दो माह पूर्व ही अपने पत्र सं0 739 दिनांक 21/10/2016 मे अधीक्षण अभियंता को प्रेषित पत्र मे रु 143.21 लाख की पेनाल्टी के साथ अंतिमिकरण हेतु अनुरोध किया गया था। जिसमे रु 97.39 लाख की वसूली निर्धारित की गयी थी। ठेकेदार द्वारा रु 422.10 लाख का कार्य किये बिना ही कार्य छोड़ दिया गया। तथा इकाई द्वारा पुनः रु 422.10 लाख के अवशेष कार्य के सापेक्ष रु 526.27 लाख की नयी बीओक्यू अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी। अर्थात जहां एक ओर समय वृद्धि की सीमा तक मात्र 19 प्रतिशत कार्य किये जाने के बावजूद ठेकेदार को रु 143.21 लाख की निर्धारित पेनाल्टी से अवमुक्त कर कार्य का अंतिमिकरण किया गया वही दूसरी ओर अवशेष कार्य हेतु रु 104.17 लाख (रु 526.27 लाख - रु 422.10 लाख) की अधिक लागत की बीओक्यू प्रस्तुत की गयी।

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि ठेकेदार को निर्माण कार्य हेतु खनन उपलब्ध न होना, वर्ष 2014-15 मे भारी वर्षा होने के कारण सामग्री की आपूर्ति न होने के चलते कार्य बाधित रहा। जिस कारण पेनाल्टी चार्ज नहीं की गयी। तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमानित क्षति रु 1.50 करोड़ को इसलिये सत्य माना गया क्योकि जुलाई 2016 मे आपदा के कारण ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर एकत्रित निर्माण सामग्री बह गयी थी । जिस कारण इस कार्यालय द्वारा क्षति का आंगणन गठित किया जाना संभव नहीं हो सका। अतः बिना किसी पेनाल्टी के अंतिमिकरण की अनुमति प्रदान की गयी।

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं था, क्योकि खनन उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की थी । वर्षा के कारण कार्य बाधित होने पर माह 10/2016 तक की समय वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी थी। किन्तु माह 10/2016 तक ठेकेदार द्वारा मात्र 19 प्रतिशत कार्य ही सम्पन्न किया गया था। अतः बिना पेनाल्टी अंतिमिकरण किये जाने का कोई कारण नहीं होता। साथ ही ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमानित क्षति को आधार मानने का कोई औचित्य नहीं होता। ठेकेदार से वास्तविक क्षति को लेकर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिये था। तथा उसके आधार पर रु 143.21 लाख की चार्ज पेनाल्टी को उतनी राशि से कम किया जाना चाहिये था। जो इकाई द्वारा नहीं किया गया और ठेकेदार द्वारा दिये गये तथ्य को सत्य मानकर बिना पेनाल्टी को चार्ज किये अंतिमिकरण किया जाना नियमानुसार नहीं था। अतः ठेकेदार द्वारा मात्र 19 प्रतिशत कार्य किये जाने के बावजूद ठेकेदार को रु 143.21 लाख की निर्धारित पेनाल्टी से अवमुक्त कर कार्य का अंतिमिकरण किया जाना तथा अवशेष कार्य हेतु रु 104.17 लाख (रु 526.27 लाख - रु 422.10 लाख) की अधिक लागत की बीओक्यू प्रेषित किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो "ब"

प्रस्तर:3- हुंडोला-पानीगांव मोटर रोड (रु. 164.49 लाख) के निर्माण में पीएमजीएसवाई एवं शासन के निर्देशों के अनुसार पक्की नाली/क्रॉस ड्रेनेज एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक पैरापेट, रेलिंग, बोल्डर एप्रान नहीं बनाए जाने के कारण रु. 164.49 लाख के अधोमानक निर्माण कार्य।

हुंडोली-पानीगांव से कंटारी मोटर रोड के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या 08/SE-06/2009-10 का गठन रु. 164.49 लाख की लागत से दिनांक 03.10.2009 को किया गया और कार्य को पूर्ण करने की तिथि दिनांक 02.10.2010 थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) पुरोला (उत्तरकाशी) के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य (अंतिम देयक के अनुसार) र . 164.49 लाख का व्यय कर कार्य को दिनांक 31.05.2015 तक चार वर्ष सात माह के विलम्ब से पूर्ण किया गया। निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्य अनुबंध में उल्लेखित एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त निम्नलिखित आवश्यक कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं किए गए थे-

कार्य मद का नाम	**बॉन्ड के अनुसार कार्य की मात्रा**	**अंतिम देयक के अनुसार की गई वास्तविक कार्य की मात्रा**	**कार्य मे प्रतिशत कमी**
पैरापेट का निर्माण	205.00Rmt	0.00	100%
हिल साइड पक्की नाली का निर्माण	0मी 1200.00	0.00	100%
स्टोन फिलिंग	68.26 CuM	0.00	100%
बोल्डर एप्रोन वायर क्रेट्स	8 Nos	0.00	100%
एमएस रेलिंग वर्क	मी. 24.00	0.00	100%

उक्त कार्य की तकनीकी टिप्पणी मे स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है" -मार्ग मे पानी की निकासी एवं सुरक्षा की दृष्टि से पैरापिट निर्माण कार्य आवश्यक है। अतः इन मदों को स्वीकृत प्रावधान के अनुसार कार्यस्थल पर संपादित कराना सुनिश्चित करें।परंतु इस सड़क निर्माण " कार्य में पाने की निकासी हेतु पक्की नाली एवं सुरक्षा हेतु पैरापेट का निर्माण कार्य शून्य है।

उपरोक्त पाँच महत्वपूर्ण कार्यों का बिलकुल भी नहीं किया जाना कार्य के प्रति विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। उपरोक्त पाँच मदों में शून्य कार्य किए जाने के कारण रु 164.49 लाख का निर्माण कार्य अधोमानक रहा।

उपरोक्त के समबन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्य के समय आवश्यकतानुसार विचलन किया गया है। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि URRDA/शासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया था कि क्रॉस ड्रेनेज के कार्यों को किसी भी दशा मे कम न किया जाए ताकि उनकी उपयोगिता-अवधि वर्षा के जल से क्षरण के कारण कम न हो।

इस प्रकार पीएमजीएसवाई एवं शासन के निर्देशों के अनुसार पक्की नाली/क्रॉस ड्रेनेज एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक पैरापेट, रेलिंग, बोल्डर एप्रान नहीं बनाए जाने के कारण रु. 164.49 लाख के अधोमानक निर्माण कार्य का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर:4- तीन कार्यों में रु. 7.85 लाख कम एलडी की कटौती किया जाना।

अनुबंध के मानक निविदा दस्तावेज़ (Standard Bidding Document एसबीडी) के बिन्दु संख्या-44.1 के अनुसार नियोक्ता द्वारा कार्य पूर्ण होने मे निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने अर्थात विलंब होने पर अनुबंध मूल्य के 1% प्रति सप्ताह की दर से LD (Liquidated Damages) आरोपित किया जाएगा, जो कि अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा, और इन दोनों मे से जो भी कम हो

उसे आरोपित किया जाएगा। कार्यपूर्ति दिवस मे अधिकता को अभियंता द्वारा प्रामाणिक कारणों से बढ़ाया जा सकेगा। अन्यथा, अभियंता द्वारा निर्णीत हर्जाने (एल डी) को अगले भुगतान प्रमाण पत्र (payment certificate) से समायोजित किया जाएगा [एसबीडी 44.2]। एलडी के संबंध मे नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा [एसबीडी 44.3]।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई (सिंचाई प्रखण्ड) पुरोला (उत्तरकाशी) में फेज-I से फेज-XV की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि तीन निर्माण कार्यों में 30 माह से 45 माह तक का विलंब हुआ। कार्यों के पूर्ण होने में विलंब की स्थिति में इकाई को न्यूनतम 1% की दर से एलडी कटौती की वसूली ठेकेदार के अंतिम बिलों से करनी थी, परंतु इकाई द्वारा 0.1 % ~ 0.6% की दर से एलडी आरोपित की गई। तीन कार्यों के देयकों से रु. 9.27 लाख एलडी की कटौती की गई जबकि एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध लागत के न्यूनतम एक प्रतिशत की दर से रु. 17.12 लाख की कटौती ठेकेदारों के देयकों से की जानी थी जिसकी गणना निम्नवत है-

क्र0सं0	योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलंब की अवधि (माह)	आरोपित एलडी	अनुबंध की लागत (Rs.)	न्यूनतम 1% की दर से आरोपित एलडी की राशि (रु.)	कम आरोपित की गई एलडी की राशि (रु.)
2	राजगढ़ी (गंगताड़ी) से सरनौल मोटर मार्ग	14.02.2014	04.08.2015	अपूर्ण	34	296242	47814000.00	478140.00	181898.00
3	ओ0 डी0 आर0 6.00 मोरी से नानई मोटर मार्ग	07.01.2014	16.01.2015	13.07.2017	30	21703.00	21703000.00	217030.00	195327.00
4	जाखोल से लिवाड़ी मोटर मार्ग	31.03.2013	30.09.2014	अपूर्ण	45	609000.00	101647000.00	1016470.00	407470.00
						926945.00	171164000.00	1711640.00	784695.00

इस प्रकार तीन कार्यों मे रु. 7.85 लाख कम एलडी की कटौती की गई जबकि एलडी की वसूली एक प्रतिशत की दर से किए जाने हेतु शासन/उच्चाधिकारियों से भी निर्देश इकाई को प्राप्त हुए परंतु इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। उपरोक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि ठेकेदारों के अनुरोध पर कम कटौती की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एलडी कटौती की दर 1% से 10% प्रति सप्ताह है जो कि अनुबंध लागत का अधिकतम 10 % तक हो सकता है। अतः किसी भी स्थिति में न्यूनतम 1% की दर एलडी आरोपित की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार तीन कार्यों में रु. 7.85 लाख कम एलडी की कटौती का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- शासन के दिशानिर्देश के उलघन कर रु 29.57 लाख का कार्य कार्यादेश के माधयम से कराये जाना।

As par Guideline of central public work department Manual 2003, para 14.4.4 the AEEs /AEs shall normally award work without call of tenders up to their individual power only against the

estimates technically sanctioned by them. However, in exceptional cases involving greater urgency or emergency they can also award works without call of tenders against the estimates technically sanctioned by higher authorities provided approval in principal is obtained from the Ex,Engineer and amount of work orders issued against the concerned estimate does not exceed the power of the AE/AEE to award work without call of tender.Reasonableness of rate in such shall however be the responsibilities of the AE/AEE on**ly.**

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पुरोला की कार्यदेश पंजिका (work order book) की नमूना जांच करने पर यह देखा गया की सहायक अभियंता द्वारा preparation of DPR, Annual Repair, computer operator salary, पर रु 29.57. लाख व्यय किया गया है। जबकि सरकारी गजट/ दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य को बिना टेंडर के लेकिन आगणन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के मंजूरी के बाद कार्यादेश के माधयम से किया जाना चाहिये था। कार्यादेश के कार्यो का विवरण निम्नवत है-

Sr.No,	Name of Work (Road name)	No of work	Amount
1.	Annual Repair	10	920600.
2.	Prepration of DPR	14	19.97118
3.	Computer operator salary	01	40,000.
	Total=		**2957718.**

उपरोक्त कार्य जो कार्य किए गई थे वह अस्थाई प्रकृति के थे। लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया DPR preparation हेतु URRDA स्तर से जल्द बनाये जाने हेतु दबाव रहता है, जिसके कारण कार्यादेश के माधयम से कार्य आगे एवं Annual Repair and Computer operator salary भविष्य मे प्रशासन मद से कार्य कराये जाएगे। इस प्रकार शासन के दिशानिर्देश का उलघन कर रु 29.57 लाख का कार्यादेश के माध्यम से कार्य कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Sr.no	W.O.B/ page no.	Name of work	Date	Amount
1	07/AE-iv/03/2015-16	Preparation of DPR	6.1.2016	50000.
2	08/AE-iv/03/2015-16	Preparation of DPR survey of kalsi	8/1/2016	80000.
3	09/AE-iv/03/2015-16	Preparation of DPR kalsi to bingsal	22.1.2016	91000.
4	27/AE-iv/03/2015-16	Preparation of surveying work & DPR	1.7.17	211250.
5	28/AE-iv/03/2015-16	Preparation of surveying work & DPR	25.7.17	162512.

6	30/AE-iv/03/2015-16	Preparation of surveying work & DPR	3.8.17	190920.
7	32/AE-iv/03/2015-16	Preparation of DPR	25.9.17	144480.
8	34/AE-iv/03/2015-16	Preparation of surveying work & DPR	10.11.17	215800.
9	41/AE- iv/03/2015-16	Preparation of stage II DPR of Maindarth	11.12.17	239580.
10	43/AE- iv/03/2015-16	Preparation of stage II DPR of Dannangoan	23.12.17	171600.
11	44/AE- iv/03/2015-16	Preparation of stage I DPR of Dannangoan	28.12.17	218460.
12	45/AE- iv/03/2015-16	Preparation of stage II DPR of Dannangoan	1.1.18	48000.
13	48/AE- iv/03/2015-16	Preparation of stage II DPR of Dannangoan	11.1.18	108636.
14	35/AE- III/02/2015-16	Prepration of stage II DPR	16.10.2017	64880.
			Total= A	**19,97,118**
16	02/AE-iv/03/2015-16	Annual Repair	25.9.2015	50000.
17	23/AE-iv/03/2015-16	Routine Maintained of kharsadi Road	9.6.2017	107348.
18	29/AE-iv/03/2015-16	Routine Maintained of kharsadi Road	15.9.17	187647.50
19	31/AE-iv/03/2015-16	Routine Maintained of kharsadi jeewanu	20.9.17	136337.50
20	33/AE-iv/03/2015-16	Routine Maintained of kharsadi jeewanu road	1.11.17	95288.75
21	37/AE- iv/03/2015-16	Construction of Arakot bhatanu	20.11.17	111780.
22	42/AE- iv/03/2015-16	Consecution of pillor and road cutting	14.3.17	232200.
			Total=B	**920600.**
23	20/AE-iv/03/2015-16	Computer operator salary	1.5.2017	40000.
			Total=C	**40000.**

Grand Total=2957718.

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 0.78 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान।

संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पुरोला मे कार्यरत श्री धमेन्द्र सिंह की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह पाया गया की श्री धमेन्द्र सिंह की नियुक्ति दिनांक 17.1.2011 को वेतन बैंड (5200-20200) मे ग्रेड वेतन 1900 का न्यूनतम (5830+1900=7730.) पर ना करके 6460+1900=8360। पर किया गया । जो की शासनादेश के दिशा–निर्देशों के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनाक 17/1/2011 से माह 5/2018 तक कुल रु 77,624/- वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान किया गया है। (विस्तृत विवरण **संलग्नक–1** में दिया गया है।)

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये। बताया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर उचित कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है। चूंकि शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार ग्रेड वेतन 1900 का न्यूनतम (5830+1900=7730.) है लेकिन 6460+1900=8360 पर वेतन निर्धारण किया गया। इस प्रकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 0.78 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान किया गया है। अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण 0.78 लाख के अधिक का प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- रु 243.70 लाख का टैक्स इन्वाइस जमा किये बिना ठेकेदारो को भुगतान किये जाने।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बर्न्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना (सि0वि0) पुरोला उत्तरकाशी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जी0एस0टी0 भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख/ सूचना में पाया गया कि 11 ठेकेदार को विभाग के द्वारा माह 07/2017 से 3/2018 तक कुल रु 1123.18 लाख के टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया गया। जिस पर 12% जी0एस0टी0 रु. 243.70 लाख कर की धनराशि देय थी। जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sr.No	Name of Farm/contractor	Gross Amount Paid (1.7.17 to31.3.18	GST to be deposited @12%	Net Amount
1	M/s BBH construction	1819911.	218389.	1601522.
2	M/s Rajeev kandari	13552922.	1626350.	1626350.
3	M/s Dheerpal Singh	3912382.	469485.	3442897.
4	M/s Rama Nariyan	9274920.	1112990.	8161930
5	M/s Devendar Construction	9098381.	1091805.	8006575.
6	M/sRam Krishna Jayara	13857288.	12194413.	1662875.
7	M/s Amot joshi	30877405.	3705288.	27172116.
8	M/s Rajbeer Singh Rana	6821858.	1178622.	8643236.
9	M/s Ram Krishna jayarn	16094652.	1931358.	14163293.
10	M/s Ram Krishna jayarn	1381783.	165813.	1215969.
11	M/s Himaliyan consction	5627321.	675278.	495204.
	Grand Total=	**11,23,18823.**	**2,43,69791.**	**7,61,91967.**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये । बताया कि संविदाकारों को भुगतान इ-पेमेंट के माध्यम से किया जाता है। उच्चअधिकारियों द्वारा इस संबंध मे कोई स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं किये गये है। इकाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविदाकार द्वारा वर्तनाम तक टैक्स इन्वाइस नहीं भेजा गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योकि जीएसटी संबंधी उक्त दिशानिर्देशों के तहत संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिए था। जिसका पालन इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः रु 243.70 लाख का टैक्स इन्वाइस जमा किये बिना ठेकेदारो को रु 364.17 लाख का भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

प्रस्तर-2- संरेखण मे आने वाली 0.728 हे० नापभूमि का बहिनामा रजिस्टरी तथा रु 6.39 लाख के प्रतिकर का भुगतान न किया जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि का बहिनामा रजिस्टरी किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टाम्प (संपाति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड मे लागू) मे निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी।

इकाई के स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो / प्रस्तावो की नमूना जांच मे पाया गया कि खरसाड़ी जीवानू मार्ग का स्टेज 1 का कार्य माह अप्रैल 2016 मे पूर्ण हो चुका था परंतु इस मार्ग मे आने वाली नाप भूमि मे से विवरण मे वर्णित लाभार्थियो की नाप भूमि का न तो बहिनामा रजिस्टरी की गयी थी और न ही देय प्रतिकर का वितरण लेखापरीक्षा तिथि तक किया गया था। इस प्रकार दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी न तो 0.728 हे० नाप भूमि का बहिनामा रजिस्टरी किया गया था और न ही रु 6.39 लाख के प्रतिकर का भुगतान किया गया था। (विवरण सलग्न है) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समय से प्रतिकर का भुगतान न करने के कारण रजिस्टरी शुलक मे अतिरिक्त धनराशि के व्यय होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि लाभार्थियो द्वारा संपर्क साधने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा विशेष प्रयास कर न केवल बैनामा रजिस्ट्री करवानी थी बल्कि प्रतिकर का भुगतान भी करना था।

अतः संरेखण मे आने वाली 0.728 हे० नापभूमि का बहिनामा रजिस्टरी तथा रु 6.39 लाख के प्रतिकर का भुगतान न किया जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

खरसाड़ी जीवानू मोटर मार्ग का अभुगतानित प्रतिकर का विवरण

S.No	Name of the beneficiary S/sh	Total land Acquired (Ha)	Unpaid Amount
1.	Jaipal singh, Ujjwal Singh, Bharat Singh S/O Nathi Singh	0.277	238557/-
2.	Chandar Singh S/O Tara Singh	0.004	3900/-
3.	Shekra Singh S/O Chand Ram	0.010	9750/-
4.	Jeepalu S/O khilu	0.006	4800/-
5.	Sadhu Ram	0.011	8800/-
6.	Gopalu S/O Aalmu	0.005	4000/-
7.	Jaipal singh, Ujjwal Singh, Bharat Singh S/O Nathi Singh	0.020	17400/-
8.	Shishpal Singh	0.007	6825/-
9.	Jaipal singh, S/O Nathi Singh	0.004	3200/-
10.	Chan Singh S/O Jaipal Singh	0.009	21600/-
11.	Nangdei D/O Sherjang	0.020	16000/-
12.	Hukum Singh S/o Man Singh	0.025	430/-
13.	Sitaram S/O Ratna	0.040	32000/-
14.	Ram leela S/O Bhopal Singh	0.020	19500/-
15.	Nether lal S/OJeet Singh	0.020	16000/-
16.	Khilli S/O Velu	0.013	12675/-
17.	Vijay Ram S/O Purn Singh	0.010	9750/-
18.	Ramshry Chander Singh	0.011	8800/-
19.	Mani Mool Chand S/O Nanda Singh	0.009	8775/-
20.	Gandarb SinghS/O Jaya Singh	0.012	10730/-
21.	Ramchand Chandram S/O Jit Singh	0.021	20475/-
22.	Gulab Singh S/O Lal Singh	0.011	9675/-
23.	Ram Chand S/O Man Singh	0.005	4875/-
24.	Gulab Singh S/O Khim Singh	0.004	3900
25.	Ramshry Chander Singh S/O Mor Singh	0.003	2925/-
26.	Nathi Singh S/O Mahipal Singh	0.003	2400/-
27.	Mani S/O Nanda	-	1545/-
28.	Chandi PrasadS/O Bishember Dutt	-	4091/-
29.	Arjun Singh S/O Hakam Singh	0.020	19500/-
30.	Vimla W/O Setu	0.019	18525/-
31.	Kuldeep Singh S/O Jeetpal Singh	0.008	7800/-
32.	Samaj Kalyan Vibagh	0.026	22500/-
33.	Arjun Singh S/O Hakam Singh	0.075	68050/-
	Total	**0.728 Ha**	**639753/-**

प्रस्तर-3- रु 2.51 लाख का चार कार्मिको अस्थाई अग्रिम का विगत दो वर्षो मे समायोजन न किए जाना।

वित्तीय हस्तपुस्ततिका खण्ड (V) के 172 के अनुसार अस्थाई अग्रिम पूर्व मे passed vouchers के सापेक्ष प्रदान किया जाता है। जिसे यथाशीघ्र closed किया जाना चाहिये अस्थाई अग्रिम पंजिका एवं अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि चार अपर सहायक अभियंताओ को माह 8/2016 से माह 10/2016 तक कुल रु. 251103, लाख अस्थाई अग्रिम के रूप मे दिया गया है। जिसका विवरण निम्नावत है।

क्र.स	**नाम**	**पदनाम**	**अस्थाई अग्रिम खोलने की तिथि**	**धनराशि**
1	श्री सुभाष कुमार	सहायक अभियंता (संविदा)	6/8/2016	रु11760.
2	श्री सुभाष कुमार	सहायक अभियंता (संविदा)	6/8/2016	रु152033.
3	श्री आनंद मोहन रायजादा		12/9/2016	12374.
4	श्री प्रताप सिंह चौहान	कि. अभि.	27/10/2016	रु.24936.
5	मो, नवाजीश	सहायक अभियंता	7/4/2017	रु.50000.
			Total=	**251103.**

आगे जाँच करने पर यह भी पाया गया की श्री सुभाष कुमार संविदा (सहायक अभियंता) को भी अस्थाई अग्रिम दिया गया है। जब की स्थाई कार्मिक को ही अग्रिम दिया जाना चाहिये। जो की वित्तीय नियमो के विरुद्ध है। लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया कि अस्थाई अग्रिम कार्य की अवशकता को ध्यान मे रख कर दिया गया है। शीघ्र ही समायोजन की कार्यवाही कर ली जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अस्थाई अग्रिम पूर्व मे passed vouchers के सापेक्ष प्रदान किया जाता है। जिसे यथाशीघ्र closed किया जाना चाहिये । जबकि दो वित्तीय वर्ष गुज़र जाने के बाद भी रु 2.51 लाख की चार कार्मिको को अस्थाई अग्रिम का समायोजन ना किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	**स्टैन, यदि हो**	**अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः **प्रथम लेखापरीक्षा**

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } —— शून्य ——
   (ii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } —— शून्य ——
   (ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री नागेंद्र बहादुर	अधिशासी अभियंता	01.09.2013 - 02.09.2014
2	श्री गुणानन्द शर्मा	अधिशासी अभियंता	02.09.2014 - 31.01.2015
3	श्री राजकुमार	अधिशासी अभियंता	31.01.2015 - 28.05.205
4	श्री डी. एस. पँवार	अधिशासी अभियंता	28.05.2015 - 02.08.2015
5	श्री शिव नारायन सिंह	अधिशासी अभियंता	02.08.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, **248195** देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र